न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
253 / 2024 / प्रार्थना पत्र	2024 / 372	04.07.2024	09.09.2025

अनवान

1– राजेन्द्र कुमार पिता श्रवण लाल खटीक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

:: बनाम ::

1– महावीर पिता राधेश्याम जीनगर निवासी चमना बावड़ी के पास, सदर बाजार, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2– रामकिशन पिता रामस्वरूप कुमावत निवासी मालीखेड़ा, तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

3– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री पूरणमल खटीक	–अभिभाषक प्रार्थी
	श्री राजेश वर्मा	–अभिभाषक विपक्षीगण संख्या 01
	राज्य पक्ष	–पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 27.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा के खाता संख्या 704 आराजी नम्बर 2012 रकबा 0.50 हैक्टेयर, 2128 रकबा 0.76 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात पर पहुंचने हेतु आम सड़क आराजी नम्बर 2126 से होते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर खसरा नम्बर 4401 / 2127 की दक्षिणी मेर व आराजी नम्बर 2129 की उत्तरी मेर के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 2128 के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर पहुंच कर अपनी आराजी में प्रवेश कर काश्त कर रहा है। प्रार्थी के पास चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। जिससे कि प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त कर सके। चाहा गया रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण नम्बर 01 व 02 आये दिन रास्ते बाबत विवाद करते है। इस कारण प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी में से 20 फीट चौड़ा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा में स्थित विपक्षीगण की आराजी 4401/2127, 2129 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा के उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। विपक्षीगण संख्या 02 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राज्य सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत भू0अ0निरीक्षक तहनाल की रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातदेारी की आराजियात 2128 में पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी 4401/2127 की पूर्वी एवं आराजी नम्बर 2129 की पश्चिमी मेर मध्य होकर अपनी खातेदारी की आराजी 2128 पर पहुंचने हेतु 20 फीट चौड़े रास्ते की मांग की गई थी किन्तु मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य 15 फीट चौड़ा रास्ता की सहमति हो जाने से विपक्षीगण संख्या 01, 02 अपनी अपनी आराजियात 2129 पश्चिमी, 4401/2127 पूर्वी मेड़ से 7.5 फीट, 7.5 फीट चौड़ा रास्ता इस प्रकार कुल 15 फीट चौड़ा रास्ता देने पर कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया है।

प्रार्थीगण के नियुक्त अभिभाषक ने तहसीदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता पर सहमति जताते हुए नवीन रास्ता कायमी के आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। चूंकि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 02 के मध्स आपस में रास्ता दिये जाने हेतु सहमति हो गई है। एवं अभिभाषक प्रार्थीगण तहसीलदार शाहपुरा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार नवीन रास्त कायमी हेतु सहमत है। ऐसी स्थिति प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की सहमति से भू0अ0निरीक्षक तहनाल द्वारा रास्ता प्रस्ताव अनुसार आरजी नम्बर 2129 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता कायमी हेतु 0.0183 हैक्टेयर(80 मीटर गुणा 2.29 मीटर/183.20 वर्ग मीटर), एवं विपक्षीगण संख्या 02 की आराजी नम्बर 4401/2127 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता कायमी हेतु 0.0169 हैक्टयर (74 मीटर गुणा 2.29 मीटर/169.46 वर्ग मीटर) का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम तहनाल पटवार हल्का तहनाल भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा स्थित विपक्षीगण संख्या 01 की खातेदारी आराजी नम्बर 2129 रकबा 0.24 है0 में से नवीन रास्ता हेतु 0.0183 हैक्टेयर(80 मीटर गुणा 2.29 मीटर/183.20 वर्ग मीटर), एवं विपक्षीगण संख्या 02 की आराजी नम्बर 4401/2127 रकबा 0.30 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता कायमी हेतु 0.0169 हैक्टयर (74 मीटर गुणा 2.29 मीटर/169.46 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि संबंधित अप्रार्थीगण के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त नवीन रास्ता हेतु वांछित भूमि 0.0183 है0 को आराजी नम्बर 2129 रकबा 0.24 हैक्टेयर, एवं 0.0169 हैक्टयर को आराजी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

नम्बर 4401/2127 रकबा 0.30 हैक्टयर में से कम करते हुए मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा के राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 09.09.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा